(253)

फैक्स नं0–0522–2287241
2287242

मुख्यालय राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश।

5वाँ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, अशोक मार्ग लखनऊ–226001

पत्र संख्या–पीआर–30–212/2011 (11374) दिनॉकः लखनऊःदिसम्बर 20 ,2013

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे,
उत्तर प्रदेश।

हावड़ा–अमृतसर एक्सप्रेस में रेलवे स्टेशन लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर पर दैनिक यात्रियों द्वारा महिलाओं के साथ की गई छेड़–छाड़ एवं पथराव की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2011 में मान्नीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 9543(एमबी)2011 (पीआईएल) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक रेलवे एवं अधोहस्ताक्षरी तथा मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे लखनऊ एवं अपर मण्डल रेल प्रबन्धक उत्तर रेलवे की जीआरपी, रेलवे एवं आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई गोष्ठी में अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी जीआरपी/आरपीएफ /रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने पर सहमति व्यक्त की गई है:–

1– ट्रेन में चलने वाले स्टाफ जैसे ड्राइवर, गार्ड, टी0टी0, कोच अटैण्डेंट एवं स्कोर्ट में चलने वाले जीआरपी/आरपीएफ के कर्मचारियों का जीआरपी एवं रेलवे के सक्षम अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा मदिरा सेवन किये जाने का औचक परीक्षण कराया जाये।

2– विभिन्न ट्रेनों के मुख्यतः महिला कोच की वीडियोग्राफी रेलवे/आरपीएफ एवं जीआरपी की संयुक्त टीम द्वारा आकस्मिक रूप से करायी जाये एवं इसका प्रचार–प्रसार कराया जाये, जिससे अपराधिक तत्वों में पहचाने जाने का भय व्याप्त होगा और अपराध की घटनायें कम होंगी।

3– महिला कोच गार्ड कोच के निकट होने के कारण गार्ड की यह जिम्मेदारी निर्धारित की जाये कि यदि महिला कोचों में पुरूष यात्री दिखाई दे तो तत्काल जीआरपी/आरपीएफ को सूचित किया जाये, जिससे जीआरपी/आरपीएफ द्वारा महिला कोच पर तुरन्त पहुंच कर पुरूष यात्रियों को महिला कोच से उतारा जा सके।

4– जीआरपी में महिलाओं को जागरूक किये जाने हेत 'निर्भय कार्ड' महिला यात्रियों को वितरित किये गये हैं, रेलवे एवं आरपीएफ द्वारा भी 'निर्भय कार्ड वितरित कराये जाएं।

5– ट्रेनों के पेन्ट्री कार में चलने वाले वैण्डरों एवं ए0सी0 कोच में चलने वाले अटेण्डेण्टों का पुलिस वैरीफिकेशन कराया जाए।

6– जीआरपी को पूर्व में आवंटित थाना भवन/बैरक एवं आवास जो जर्जर अवस्था में है, उनकी रेलवे द्वारा मरम्मत कराये जाने और जीआरपी को साफ एवं स्वच्छ भूमि आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जाने एवं इस पर जीआरपी कर्मियों हेतु आवश्यक अस्थायी भवन/बैरक का निर्माण कराये जाने पर गोष्ठी में उपस्थित रेलवे अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

7– रेलवे के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि दैनिक यात्रियों (एम0एस0टी0 धारक) से एम0एस0टी0 निर्गत करते समय उनका पूर्ण विवरण नये पारूप में अंकित किया

जा रहा है और उसकी एक कापी मय फोटो जीआरपी को दिये जाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

उक्त बिन्दुओं का अनुपालन/अपेक्षित कार्यवाही आपके स्तर से किया जाना अपेक्षित है तथा आपके द्वारा उक्त प्रकिया का सतत अनुपालन किया जाना है।

अतएव आप उक्त बिन्दुओं का अनुपालन/अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही की आख्या दिनांक **15 जनवरी 2014** तक प्रत्येक दशा में इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

20/12

(वीरेन्द्र कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः—
पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे लखनऊ/इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।